फाइल नं0-71-1001/1672/2019

102/2023/I/343917/2023

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग1-

लखनऊ- दिनांक 05 जुलाई, 2023

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-71-2023/341001/I/2023/97-2019/1672/1001, दिनांक 29.06.2023द्वारा सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा में पी0एम0एस0एस0वाई0- IV के अंतर्गत निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के संचालन हेतु विभिन्न विभागों हेतु आवश्यक उपकरणो/कम्प्यूटर सूची अनुमोदित करते हुए रू0 7,43,53,601.00 धनराशि अवमुक्त की गयी। प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र दिनांक 30.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29.06.2023के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या 25-पर त्रुटिवश Endoscopic USG Machine के स्थान पर Endoscopic USG (Olympus) अंकित हो गया है।

अतः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न सूची के क्रम संख्या-25 पर Endoscopic USG (Olympus) के स्थान पर Endoscopic USG Machine पढ़ा व समझा जाए।

उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एंव प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in